

इन्द्रसिंह पुत्र बालसिंह जाति
राजपूत निवासी उचेरिया
तहसील मकराना जिला नागौर,
राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आरएएस,
पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मकराना जिला नागौर
वगैरह

13/2023

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 98 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13.10.2022	वकील प्रार्थी ने धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मकराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 63/2016 छिगनकंवर बनाम इन्द्रसिंह व अन्य की पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी संख्या 4 जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एडी डाक से तथा बकाया अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.11.2022 को पेश हो।	
23.11.2022	वकील प्रार्थी उपो। सप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से वकील भरणा ने भपना वक्रान्तनामा पेश किया जो शामिल मिसल हो। सप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से वकील श्री लखेन्द्र साण ने भाईन्दा वक्रान्तनामा पेश करने हेतु अउरटेबिग दी। उपखण्ड भविवापी मरणा ने पत्रां 2734 दिनांक 22.11.22 से पैरावाईज टिप्पणी भिखवाई हो जो शामिल पत्रावली हो। वकील प्रार्थी द्वारा बकाया सप्रार्थी के नोटिस पुनः पेश करने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।	अप्रार्थी संख्या 1 से 9 तक की ओर से पेश किया गया है। 20/12/2022

जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

न
अह
की त

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य
कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली आईन्दा दिनांक आईन्दा 05/03/24
को पेश हो।

2

5/3/2024 - पत्रावली पेश हुई।

उपरोक्त अधिकारी मकराना का स्थानान्तरण को चुका है।
पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से इस मुताबिल
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल
शुमार होकर याचिल दफर हो।

जिला कलक्टर
डीउवाना-कुचामन